न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)
UPHP010021842019

POCSO Act/38/2019
State Government Vs. Pushpendra
सत्र वाद संख्या 38/2019

सरकार बनाम पुष्पेन्द्र
अन्तर्गत धारा 452, 506, 354 भा0दं0सं0
एवं धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम
थाना–बाबूगढ़, जिला–हापुड़।
मु0अ0सं0 417 सन 2018

03.06.2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 03.06.2026 पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थनापत्र दि0 03.06.2026 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त सत्र परीक्षण में र्दिनाक 22.5.2026 वास्ते सफाई साक्ष्य नियत थी जिसमें प्रार्थी/अभियुक्तगण अपने सफाई साक्ष्य हेतु गवाह लेकर माननीय न्यायालय में उपस्थित हुए परन्तु अचानक गवाह के पेट में दर्द होने व उसकी तबीयत खराब होने के कारण गवाह उपचार हेतु वापिस चला गया। जिसकी वजह से उक्त गवाह के ब्यान माननीय न्यायालय में अंकित नही हो सके तथा माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्तगण का सफाई साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया। प्रार्थी/अभियुक्तगण ने साक्ष्य अंकित कराने में जानबूझकर कोई लापरवाही व कोताही नहीं की है। उक्त आदेश के स्थिर रहने से प्रार्थी/अभियुक्तगण को अपार हानि व हकतल्फी है जिसकी पूर्ति किसी भी रुप में सम्भव नहीं हो पायेगी तथा प्रार्थी/अभियुक्तगण के न्याय प्राप्त करने का मंशा ही समाप्त हो जायेगा। ऐसी स्थिति में आदेश दिनाक 22.5.2026 को रिकॉल/नरस्त करते हुए प्रार्थी/अभियुक्तगण को सफाई साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक एवं प्रार्थनीय है।अतः सफाई साक्ष्य का अवसर प्रदान किये जाने की याचना की गयी है ।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा मौखिक रूप से आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि सख्त आपत्ति है । वाद को विलम्बित

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.06.03 16:46:44 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

करने की नीयत से प्रार्थनापत्र दिया गया है। अतः उपरोक्त प्रार्थना खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि दि0 29.04.2026 को अभियुक्तगण के ब्यान अ0 धारा 313 द0प्र0सं0 अंकित किए जाने के उपरान्त सफाई साक्ष्य हेतु दि0 12.05.2026 नियत की गयी । जिस पर अभियुक्तगण की ओर से कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । तदोपरान्त न्यायहित में सफाई साक्ष्य हेतु दि0 18.05.2026 व 22.05.2026 नियत की गयी, परन्तु अभियुक्तगण की ओर से कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । तब पूर्व नियत तिथि 22.05.2026 को अभियुक्तगण का सफाई साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया तथा पत्रावली दि0 03.06.2026 को वास्ते बहस नियत कर दी गयी । अब इस स्तर पर अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थनापत्र दि0 03.06.2026 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त सत्र परीक्षण में र्दिनाक 22.5.2026 वास्ते सफाई साक्ष्य नियत थी जिसमें प्रार्थी/अभियुक्तगण अपने सफाई साक्ष्य हेतु गवाह लेकर माननीय न्यायालय में उपस्थित हुए परन्तु अचानक गवाह के पेट में दर्द होने व उसकी तबीयत खराब होने के कारण गवाह उपचार हेतु वापिस चला गया। जिसकी वजह से उक्त गवाह के ब्यान माननीय न्यायालय में अंकित नही हो सके तथा माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्तगण का सफाई साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया। प्रार्थी/ अभियुक्तगण ने साक्ष्य अंकित कराने में जानबूझकर कोई लापरवाही व कोताही नहीं की है। उक्त आदेश के स्थिर रहने से प्रार्थी/अभियुक्तगण को अपार हानि व हकतल्फी है जिसकी पूर्ति किसी भी रुप में सम्भव नहीं हो पायेगी तथा प्रार्थी/अभियुक्तगण के न्याय प्राप्त करने का मंशा ही समाप्त हो जायेगा। ऐसी स्थिति में आदेश दिनाक 22.5.2026 को रिकॉल/नरस्त करते हुए प्रार्थी/अभियुक्तगण को सफाई साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक एवं प्रार्थनीय है।अतः सफाई साक्ष्य का अवसर प्रदान किये जाने की याचना की गयी है ।

यद्यपि अभियुक्तगण का यह आचरण अत्यन्त लापरवाही पूर्ण दर्शित होता है , परन्तु प्रकरण के गुण दोष पर प्रभावी न्याय निर्णयन हेतु अभियुक्तगण को पुनः सफाई साक्ष्य का अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । विलम्ब के कारण हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हर्जे से कराया जाना समीचीन प्रतीत होता है । अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 03.06.2026 हर्जे पर स्वीकार किए

जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 03.06.2026 अंकन 2000/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्तगण को पुनः सफाई साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाता है। अभियुक्तगण हर्जे की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हापुड में जमा करायी जाकर अग्रिम नियत तिथि 09.06.2026 को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना अवश्यमेव सुनिश्चित करे । यदि नियत तिथि तक उक्त हर्जे की धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हापुड में जमा नहीं करायी जाती है , तो यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा ।

पत्रावली वास्ते सफाई साक्ष्य दि0 09.06.2026 को पेश हो ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।